न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

प्रा0पत्र सं0 15/2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राज्य सरकार जरिये गोविंद नारायण मीणा प्रवर्तन अधिकारी, दौसा जिला दौसा ..प्रार्थी

बनाम

1. राकेश कुमार गुप्ता पुत्र सूरज नारायण गुप्ता मालिक फर्म कौशल इण्डस्ट्रीज एरिया, एच–1, 41–46 निवासी दौसा ..अप्रार्थी

उपस्थितः1. श्री कन्हैया लाल रैगर, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार
2. श्री विक्रम शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः 30.10.17

सक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी, दौसा द्वारा दिनांक 30.06.2009 शुद्ध के लिये युद्ध अभियान में गठित संयुक्त जॉच दल के साथ 151 बोरी चीनी जब्त सरकार कर राजसात करने हेतु निवेदन किया गया था। प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी की तलबी की गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई। गुणावगुण के आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2015 को प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 151 बोरी चीनी राजसात की गयी। इस आदेश के विरुद्ध राकेश कुमार गुप्ता पुत्र सूरज नारायण गुप्ता मालिक फर्म कौशल इण्डस्ट्रीज एरिया, एच–1, 41–46 निवासी दौसा द्वारा माननीय न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, दौसा के यहॉ अपील प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, दौसा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.12.2016 से अपील आंशिक स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2015 को अपास्त किया जाकर पत्रावली प्रति प्रेषित की जाकर माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टातों में प्रतिपादित सिद्धांतों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 6 (3)(1)(ग) में हुए संशोधन के अनुसार प्रार्थना–पत्र धारा 6(ए)पर सुनवाई कर जब्तशुदा चीनी की 151 बोरी के संबंध में नये सिरे से विधि अनुसार आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय की पालना में पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। अप्रार्थी की ओर से श्री विक्रम शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुए। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि प्रवर्तन अधिकारी, दौसा द्वारा दिनांक 30.06.2009 शुद्ध के लिये युद्ध अभियान में गठित संयुक्त जॉच दल के साथ गोविंद नारायण मीना प्रवर्तन अधिकारी, दौसा के नेतृत्व में बहमराह प्रवर्तन अधिकारी, दौसा, सुधीर श्रीवास्तव प्रवर्तन अधिकारी, सिकराय, राजकुमार जैन प्रवर्तन अधिकारी

दौसा, कन्हैयालाल प्रवर्तन निरीक्षक लालसोट, महेंद्र चतुर्वर्तदी खाद्य निरीक्षक स्वास्थ्य विभाग के साथ मै0 कौशल इण्डस्ट्रीज दौसा के व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं गोदाम पर संयुक्तिक जॉच की गई। दौराने जॉच व्यापारिक प्रतिष्ठान पर मीठी गोलियॉ बनाने का कार्य किया जा रहा था। जॉच के दौरान मालिक फर्म राकेश कुमार गुप्ता उपस्थित पाये गये। जिनके समक्ष जॉच करने पर फैक्ट्री में 151 बोरी चीनी संग्रहित पाई गई। फर्म मालिक से चीनी के क्रय, संग्रहण एवं बिक्री के बारे में पूछताछ करने पर कोई रिकॉर्ड, बिल बुक, लाईसेंस चीनी प्राप्ति के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। फर्म मालिक द्वारा दौराने जॉच चीनी से मीठी गोलिया, बूरा, मिश्री आदि कार्य करना बताया। मौके पर खाद्य निरीक्षक द्वारा मीठी गोलियों के सेम्पल लिये गये जिसमें सुक्रोस की मात्रा के बारे में दुकानदार द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। इस प्रकार फर्म द्वारा बिना लाईसेंस की चीनी क्रय करना व संग्रहण करना एवं विनिर्माण करना पाया गया जो आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है । अतः प्रा0 पत्र स्वीकार कर जब्त शुदा 151 बोरी चीनी को राजसात किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस में दलील है कि रसद विभाग के जॉच दल ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के दौरान अप्रार्थी के प्रतिष्ठान मै0 कौशल इण्डस्ट्रीज दौसा व गोदाम से दिनांक 30.06.09 को 151 बोरी चीनी जब्त की थी। उक्त माल रसद विभाग ने ई सी एक्ट के किस ऑर्डर के तहत जब्त किया गया है यह पत्रावली में कहीं स्पष्ट नहीं है। अप्रार्थी चीनी से मीठी गोलिया, बूरा, मिश्री आदि बनाने की अनुज्ञप्ति पत्र प्राप्त कर रखा है एवं उक्त कारखाना में अप्रार्थी श्रीराम स्वीट्स के नाम से चीनी से खट्टी मीठी गोलिया बनाता है। अप्रार्थी उक्त चीनी जरिए बिल विजयवर्गीय बूरा पतासा उद्योग नई मण्डी रोड, दौसा से खरीद शुदा है। बिल दिनांक 1.4.2009 व 7.4.2009 के जरिये विजय वर्गीय बूरा पतासा उद्योग नई मण्डी रोड दौसा से 200 बोरी चीनी की खरीद की थी जिनकी प्रति पत्रावली में जवाब के साथ संलग्न है। राजस्थान व्यापारिक वस्तु अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 के कियान्वयन के संबंध में खाद्य विभाग ने दिनांक 15.05.1981 को एक आदेश क्रमांकएफ 17(11) खा0वि0/विधि/80 जारी किया जिसमें ऐसे निर्माताओं एवं अन्य प्रोसेसिंग यूनिट्स जिनमें उत्पादक भी सम्मिलित है, जो व्यापारिक वस्तुओं से अन्य वस्तुएँ बनाकर बेचते है, को व्यापारिक वस्तुओं के संग्रहण के लिए इस आदेश के अंतर्गत अनुज्ञापत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी आदेश के आधार पर ही अप्रार्थी ने उक्त चीनी का संग्रहण किया था। कोई अवैध भण्डारण या संग्रहण नहीं किया है। फिर भी अप्रार्थी द्वारा अपनी इण्डस्ट्रीज का वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त दौसा के यहॉ रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है एवं जिला उद्योग केंद्र में भी स्थाई रजिस्ट्रेशन करवा रखा है एवं कृषि उपज मण्डी समिति दौसा से व्यापारी की स्थायी अनुज्ञप्ति भी प्राप्त कर रखी हैं। क्योंकि दौराने जॉच अप्रार्थी का मुनीम मौके पर उपस्थित नहीं होने के कारण जॉच दल के समक्ष बिल व अन्य दस्तावेज पेश नहीं कर सका। अप्रार्थी द्वारा विजय वर्गीय बूरा पतासा उद्योग के यहॉ से जारी बिलों की छाया प्रति पत्रावली में संलग्न है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत (1) आरएलडब्लू 2016 (3) भगवान दास बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान पेज 2556 व (2) 2008 (2) क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राज0) 924 हंसराज व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, (3) 1995 (1) आर सी डी 426 बसंती लाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 (ए)(3)(ग) में भी संशोधन किया है कि यदि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत माल जब्त किया जाता है यदि दोष मुक्त हो जाता है, तो उसका

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

माल उसको सुपुर्द कर दिया जावें। प्रार्थी के विरुद्ध केवल धारा 6ए के तहत जब्ती की कार्यवाही की गई है कोई आपराधिक कार्यवाही दर्ज ही नहीं है। अतः जब्त की गई 151 बोरी चीनी सुपुर्द करने की कृपा करें।

माननीय न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, दौसा के निर्णय दिनांक 15.12.2016 की पालना में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टातों में प्रतिपादित सिद्धांतों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 6 (3)(1)(ग) में हुए संशोधन के अनुसार प्रार्थना–पत्र धारा 6(ए)पर सुनवाई की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्व निर्णय में दी गई दलील को ही दोहराते हुए पुनः दिनांक 25.10.2017 को अपनी ओर से लिखित बहस पेश की गई। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी का मुख्य तर्क है कि वे दोषमुक्त है और उनको माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 (ए)(3)(ग) में भी संशोधन के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल उनको सुपुर्द कर दिया जाने बाबत इस्तदुआ की गई है। प्रार्थी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 6ए के तहत जब्ती की गई 151 बोरी चीनी के संबंध में अप्रार्थी 6ए के तहत ही दोषी पाये जाने पर माल राजसात किया गया था। दिनांक 30.06.2009 शुद्ध के लिये युद्ध अभियान में गठित संयुक्त जॉच दल द्वारा मै0 कौशल इण्डस्ट्रीज के निरीक्षण के दौरान फर्म मालिक द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं देने व जब्त की गई 151 बोरी चीनी के संबंध में कोई बिल बाउचर प्रस्तुत नहीं करने एवं राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश–1980 के अनुसार जारी परिपत्र नं0 एफ–17(39)food/supply/legal/ 77 दिनांक 27.08.80 के उल्लंघन पाया जाने पर जब्त की गई। अप्रार्थी द्वारा अपने कथन में उक्त चीनी से मीठी गोलियॉ, बूरा वगै0 बनाया जाना बताया है। इससे यह स्पष्ट है कि फर्म के यहॉ चीनी मौजूद थी। किंतु उनके द्वारा मौके पर मौजूद जॉच दल के कहने पर उक्त जब्त चीनी की पुष्टि हेतु कोई बिल बाउचर पेश नहीं किये बल्कि अपनी बहस में बताया कि उनका मुनीम नहीं होने के कारण बिल व दस्तावेजात नहीं बता पाये। जो सोची समझी बात है। जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जब फर्म मालिक को ही अपनी फर्म के संबंध में जानकारी नहीं होगी तो दीगर को इस बारे में जानकारी होना संदेहास्पद है। मुनीम के नहीं होने का बहाना बनाया जाकर कार्यवाही से बचना चाहते है। एक तरफ अनुज्ञप्ति होने की बात का दावा कर रहे है और दूसरी और उक्त व्यवसाय के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होना अपनी बहस में बताया गया है, जिससे हम सहमत नहीं है। जब अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है, तो वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त दौसा एवं जिला उद्योक केंद्र व कृषि उपज मण्डी समिति दौसा से व्यापारी की स्थायी अनुज्ञप्ति क्यों प्राप्त की गई है। उक्त तर्क मानने योग्य नहीं है। अप्रार्थी द्वारा विजय वर्गीय बूरा पतासा उद्योग के यहॉ से खरीद के बिलों की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। किंतु इस चीनी के संधारण के संबंध में न तो कोई स्टॉक रजिस्टर पेश किया गया न ही वक्त निरीक्षण दिनांक 30.06.09 को कितनी चीनी स्टॉक में रही इसका कोई प्रमाण ही पेश किया गया। फर्द मौका एवं जब्ती के अनुसार अप्रार्थी राकेश के यहॉ से 151 बारी चीनी को जब्त किया गया है। राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश–1980 के अनुसार जारी परिपत्र नं0 एफ–17(39)food/supply/legal/ 77 दिनांक 27.08.80 के अनुसार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिकतम चीनी 10 क्वि0 का भण्डारण ही अनुज्ञेय है। इसलिए उक्त आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है। माननीय उच्च न्यायालय के दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा जब्त माल दोष मुक्त होने पर ही लौटाने का दृष्टांत में संशोधन किया गया है। इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 09.12.2015 में अंकित कि जब प्रकरण का निस्तारण ही नहीं हुआ तो अप्रार्थी अपने आपको दोष मुक्त कैसे कह सकते है के संबंध में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी का उक्त कृत्य चीनी क्रय करना व संग्रहण करना एवं विनिर्माण करना है, जिसका वह दोषी है और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है । इस प्रकार सयुक्त जॉच दल द्वारा की गई कार्यवाही में सार व बल होने के कारण प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर 151 चीनी बोरी राजसात की गई थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत (1) आरएलडब्लू 2016 (3) भगवान दास बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान पेज 2556 व (2) 2008 (2) क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राज0) 924 हंसराज व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, (3) 1995 (1) आर सी डी 426 बसंती लाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 (ए)(3)(ग) की ओर अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया है कि ''आपराधिक प्रकरण में दोष मुक्त होने पर जब्त शुदा माल प्राप्त करने का अधिकारी अप्रार्थी है'' किंतु प्रस्तुत प्रकरण में कोई आपराधिक प्रकरण जिला रसद अधिकारी, दौसा की ओर से दर्ज कराया हो तथा उक्त प्रकरण में अप्रार्थी को दोषमुक्त कर दिया गया हो, ऐसा प्रमाणित नहीं है। इसलिए अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण की परिस्थिति से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है।'' अप्रार्थी द्वारा अवैद्य रुप से चीनी का भण्डारण किया गया है, इसके वे दोषी है। अप्रार्थी के यहॉ 151 बोरी एक साथ मिलने से उनके कृत्य से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी उपरोक्त उद्योग की आड में चीनी की कालाबाजारी करते है। अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में ऐसे कोई दस्तावेजात/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। अप्रार्थी अपनी बात कहने में असफल रहे है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों कानूनी बिंदुओं को मध्य नजर रखते हुए हमारे विनग्र मत में हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि प्रा0 पत्र स्वीकार करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाता है। जब्त शुदा 151 बोरी चीनी राजसात (C0nfiscate) किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 अक्टूबर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा